



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

www.govtdentalcollegeraipur.in / Email-govtdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / **3644** / जीडीसी / कय / 2026

रायपुर, दिनांक **06/8/2026**

कैंटीन संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

द्वितीय आमंत्रण सूचना

आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 13/08/2026

समय 5:00 बजे तक

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर परिसर में चिकित्सकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय में उपाचार हेतु आने वाले मरीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण जलपान/भोजन/नास्ता आदि व्यवस्था हेतु कैंटीन/कैफेटेरिया संचालन के लिये इच्छुक एवं योग्य व्यक्ति/फर्म/लाईवलीहुड/बिहान से पंजीकृत संस्था/स्व-सहायता समूह/एजेंसी/कंपनी/अनुभवी संचालकों से मैनुअल पद्धति में मोहर बंद प्रपत्र में रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी एवं नियम व शर्तें महाविद्यालय की वेबसाईट www.govtdentalcollegeraipur.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके लिये राशि रुपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जो प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है अथवा दिनांक 13/08/2026, सायं 5:00 बजे तक राशि रु. 1000/- नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं, जो वापसी योग्य नहीं होगी। विवरण निम्नानुसार है:-

प्रपत्र (EOI) जमा करने की अंतिम तिथि
प्रपत्र (EOI) खोलने की तिथि
जमा करने व खोलने का स्थान

13/08/2026 समय 5.00 बजे सायंकाल तक
14/08/2026 समय दोपहर 12.30 बजे
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 06-08-2026
11:00:31

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
 रजबंदा मैदान, रायपुर फोन नं. 07712222990, Mail ID :- govdentalcollege@gmail.com

कमांक/3644 जीडीसी/कय/2026

रायपुर, दिनांक 06/8/2026

केन्टीन संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)
द्वितीय आमंत्रण की नियम एवं शर्तें:-

1. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर परिसर में चिकित्सकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय में उपाचार हेतु आने वाले मरीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण जलपान/भोजन/नास्ता आदि व्यवस्था हेतु केन्टीन के लिए इच्छुक एवं योग्य व्यक्ति/फर्म/लाइवलीहुड/बिहान से पंजीकृत संस्था/स्व-सहायता समूह/एजेंसी/कंपनी/अनुभवी संचालकों से मैनुअल पद्धति में रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रस्ताव आमंत्रित की जा रही है। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, परिसर में केन्टीन संचालन की अवधि 01 वर्ष की होगी, जो अनुबंध की तिथि से लागू होगी। संचालन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी की अनुमति/अनुमोदन उपरांत अतिरिक्त 01 वर्ष की वृद्धि की जा सकेंगी।
2. प्रथम निविदा/EOI प्रस्ताव कमांक 3383, दिनांक 24/07/2026 में सम्मिलित कोई निविदाकार द्वितीय EOI प्रस्ताव में भाग लेना चाहता हो तो प्रपत्र/प्रस्ताव शुल्क राशि रुपये 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से देय हो अथवा नगद जमा रसीद के साथ लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रथम प्रस्ताव में प्रस्तुत दस्तावेज मान्य की जावेगी।
3. केन्टीन हेतु शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के मुख्य भवन के तृतीय तल पर लगभग 2000 वर्गफुट का क्षेत्र निर्धारित है। आवेदनकर्ता कार्यालयीन समय पर उक्त स्थान का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. आवेदक द्वारा रखी गयी किसी भी प्रकार की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
5. चयनित आवेदक को 01 माह के भीतर पूर्ण रूप से केन्टीन संचालन प्रारंभ करना होगा। यदि आवेदक यह काम 01 माह में नहीं कर पाता तो निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. प्रस्तावित प्रदाय की जाने वाली सामग्री एवं दर की सूची पटल पर प्रदर्शित करना होगा तथा माप एवं मात्रा भी प्रदर्शित करना होगा।
7. केन्टीन में बिजली एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रदाय किया जावेगा, जिसके लिए केन्टीन संचालक को प्रतिमाह विद्युत शुल्क प्रचलित दर पर सबमीटर/खपत अनुसार राशि कालेज प्रबंधन के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित आवेदक को 12 महीने का किराया 12 पोस्ट डेटेड चेक द्वारा इकारारनामा के साथ जमा करना होगा जो, प्राचार्य शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से बना हुआ होगा।
9. केन्टीन की जगह में साफ-सफाई रखने, सुरुचिपूर्ण आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर का प्रबंध, संचालक को स्वयं के खर्चे से करना होगा। केन्टीन का संचालन स्वयं करना होगा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। हस्तांतरण की सूचना मिलने पर तत्काल ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
10. केन्टीन खोलना अनिवार्य होगा खुलने एवं बंद होने का समय महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा। अधोहस्ताक्षरी के बिना पूर्व स्वीकृति के केन्टीन बंद करने पर रु. 500/- प्रतिदिवस का जुर्माना जमा करना होगा।
11. शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के केन्टीन की अनुबंध अवधि समाप्त होते ही सफल आवेदक को तत्काल केन्टीन रिक्त करना होगा ऐसा न करने पर अतिक्रमण माना जाकर रिक्त कराया जावेगा। उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसके लिये संचालक उत्तरदायी होगा एवं उन्हीं से राशि वसूल की जावेगी साथ ही अतिरिक्त राशि वसूल की जावेगी।
12. चयनित आवेदक को रु. 10000=00 (राशि रुपये दस हजार मात्र) का सुरक्षा निधि (एफ.डी.आर.) प्राचार्य, शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से 01 वर्ष की अवधि का एफ.डी.आर. (Fixed Deposit) के रूप में जमा करना होगा।
13. चयनित आवेदक को केन्टीन से संबंधित सभी भुगतान नियमित रूप से करना होगा एवं नियमों के पालन हेतु सफल चयनित आवेदक उत्तरदायी रहेगा। भुगतान नियमित रूप से नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

14. चयनित आवेदक का कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद न होने एवं इकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन पर दोषी पाये जाने कि स्थिति में प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महा, रायपुर को अधिकार होगा कि वह निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पहले ही अनुबंध समाप्त कर दे। इस संबंध में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
15. चयनित आवेदक इकरारनामा के उपरान्त अनुबंध समाप्ति के पूर्व किसी कारणवश कैंटीन संचालन का कार्य छोड़ना चाहे तो 01 माह पूर्व अधोहस्ताक्षरी को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
16. कैंटीन में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पाये जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। इस हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
17. चयनित आवेदक किसी भी कर्मचारी संघ/एसोसिएशन, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, नारे-बाजी, गुटबाजी इत्यादि में शामिल/भाग नहीं लेगा। संबंधित कार्यों से उत्पन्न होने वाली किसी समस्या के निवारण हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष उचित माध्यम से अपनी समस्या रख सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्या के निवारण हेतु विचार किया जा सकेगा।
18. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा तथा उन्हें कैंटीन में आवास की अनुमति नहीं होगी। कर्मचारियों की स्वच्छता हेतु चयनित आवेदक जिम्मेदार होगा। रोगी कर्मचारी को काम पर नहीं रखा जावेगा। कर्मचारियों को स्वच्छ एप्रेन, कैप, मास्क, ग्लव्स पहनकर कार्य करना होगा। किचन में कर्मचारी स्वच्छता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करेंगे। कार्यरत कर्मचारियों का मेडिकल रिपोर्ट वार्षिक जमा करना होगा। कर्मचारियों का ई.पी.एफ. की राशि चयनित आवेदक को नियमित रूप से जमा करते हुए प्राचार्य कार्यालय में सूचित करना होगा।
19. कैंटीन में उपयोग की जाने वाली सभी उत्पाद ताजा होने चाहिए जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चयनित आवेदक की होगी। दूध, दही, पनीर आदि उत्पाद उच्च गुणवत्ता के एवं ताजे होंगे। उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियों को ठीक से संग्रहित किया जाएगा एवं समाप्ति तिथि (Expiry Date) से पूर्व उपयोग किया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई. (Food Safety and Standards Authority of India) नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
20. कैंटीन के चयनित आवेदक द्वारा प्रतिदिन की भोज्य खाद्य सामग्री का उपयोग उसी दिन करना होगा। बासी खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर समिति/महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा की जावेगी एवं निम्न स्तर की सामग्री पाये जाने पर दंडित किया जावेगा तथा ठेका समाप्त भी किया जा सकेगा एवं सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
21. कैंटीन में किसी प्रकार का मादक पदार्थ/द्रव्य/पान/तम्बाकू/बीड़ी/सिगरेट आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। बिक्री करते पाये जाने पर तत्काल अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।
22. स्थापना का व्यय चयनित आवेदक द्वारा किया जावेगा तथा उसके कर्मचारियों के संबंध में श्रमविधि या अन्य सुसंगत विधियों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा अन्य विवादों के निपटारों का दायित्व कैंटीन संचालक की होगी।
23. कैंटीन के संचालन के लिये देय निर्धारित मासिक किराया राशि रु. 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) निर्धारित है। प्रस्ताव में प्राप्त उच्चतम दर (H-1) को अधिमान्यता दी जावेगी।
24. महाविद्यालय के चिकित्सकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं मरीजों को प्रचलित बाजार दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना होगा तथा चिकित्सकों/कर्मचारियों के लिए बैठने का अलग व्यवस्था करना होगा।
25. जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से चयनित आवेदक को करना होगा एवं रसीद कार्यालय में जमा करना होगा।
26. कोरोना या अन्य आपातकालीन स्थिति में कैंटीन बंद कराने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
27. अनुपयोगी खाद्य सामग्री बचा हुआ नास्ता/भोज्य सामग्री निर्माण में उत्पन्न कचरे का निष्पादन (निगम/मंडल के मापदंड अनुसार) व्यवस्थित रूप से नियमानुसार करने की जिम्मेदारी चयनित आवेदक को स्वयं करना होगा। अनियमित पाये जाने पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा जो कि 2000/- प्रति घटना होगा।
28. चयनित आवेदक को स्वयं का व्यवसायिक कुकिंग गैस, बर्तन, वितरण प्लेट, पेयजल एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
29. कैंटीन संचालन से संबंधित सभी प्रचलित लाइसेंस प्राप्त करना तथा सभी प्रचलित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेदारी कैंटीन संचालन की होगी।
30. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्राचार्य, शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर का होगा।
31. न्यायालय क्षेत्राधिकार रायपुर होगा।
32. आवेदन के साथ संलग्न सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय योग्य होना चाहिए। अस्पष्ट एवं अपठनीय दस्तावेजों को अमान्य कर दिया जायेगा।
 1. आवेदक का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाईल एवं ई-मेल, आई.डी.प्रूफ सहित।
 2. नगर निगम शॉप एक्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र।

3. आवेदक का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन (छ.ग. राज्य का) सर्टिफिकेट एवं विगत छः माह का GST , विगत वर्ष का IT रिटर्न होना चाहिए।
4. एफ.एस.एस.ए.आई. (Food Safety and Standards Authority of India) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
5. परिशिष्ट एक के अनुरूप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. उपरोक्त सभी शर्तों से सहमति रखने वाले केन्टीन संचालक आवेदक कर सकते हैं।
34. रूचि की अभिव्यक्ति के लिये प्राप्त लिफाफे/आवेदन क्रय समिति समक्ष खोला जायेगा। उपयुक्त आवेदनकर्ताओं को क्रय तथा केन्टीन समिति के समक्ष अधोसंरचना, समय, मूल्य, सूची, सबसिडी एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में अपना विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। समिति सभी प्राप्त जानकारीयों/दस्तावेजों के आधार पर केन्टीन संचालन हेतु आवेदक का चयन करेगी। किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
35. उपरोक्त शर्तों में कोई भी बदलाव करने हेतु प्राचार्य के पास सम्पूर्ण अधिकार होगा।
36. रूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन शुल्क रु. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (प्राचार्य, शास. दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के पक्ष में) के साथ कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 13/08/2026 के सायं 5.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे के ऊपर "केन्टीन संचालन हेतु EOI प्रस्ताव" अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।

Digitally signed by
Dr Virendra Vadher
Date: 06-08-2026
11:01:54 प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर छ.ग.

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
केन्टीन संचालन हेतु प्रस्ताव पत्र का प्रारूप

क्र.	विवरण	संक्षिप्त जानकारी
1	आवेदक का नाम	
2	मोबाईल नं.	
3	पूर्ण पता	
4	आवेदक का आधार क्रमांक	
5	आवेदक का PAN क्रमांक	
6	केन्टीन संचालन का अनुभव	
7	छत्तीसगढ़ राज्य में जी.एस.टी. पंजीयन	
8	F.S.S.A.I. पंजीयन क्रमांक	
9	आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष का आयकर रिटर्न (ITR) प्रस्तुत करना होगा।	
10	कैन्टीन संचालन हेतु मासिक किराया दर रुपये	अंको में – शब्दों में –

संलग्न दस्तावेज—

आवेदक का हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम

पूर्ण पता —.....

नोटरी द्वारा सर्टिफाईड

परिशिष्ट-एक

शपथ पत्र

(रूपये 50/- नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर)

मैं/हमजिनकी संस्था/दुकान
.....पता जो कि आवेदक हैं, हम
यह शपथ कार्यालय प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में केन्टीन के
संचालन की रूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हैं, तथा यह घोषित करते हैं कि रूचि
की अभिव्यक्ति के जानकारी सत्य एवं सही है। इस संदर्भ में महाविद्यालय को जब इस रूचि
की अभिव्यक्ति के संदर्भ में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी,
हमारे द्वारा प्रदाय की जावेगी। हम आवेदनकर्ता के बिना कारण बताये के स्वीकृत करने
अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, तथा रूचि की अभिव्यक्ति हम उनके
निर्णय को चुनौती देने के अधिकार का त्याग करते हैं।

दिनांक

स्थान

आवेदनकर्ता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम